Governing body of Dr. Ambedkar Foundation

1350. SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA: Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state;

(a) whether the Chairman, National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, who has been included as a Member of the Governing Body of Dr. Ambedkar Foundation through resolution of the Governing Body dated 4th July, 1997, has been excluded now; and

(b) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRIMATI MANEKA GANDHI): (a) No Sir.

(b) Shri H. Hanumanthappa, former Chairman, National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes was appointed as a member of the Governing Body in his individual capacity.

Review of performance of Central Schemes in States

1351. KUMARI NIRMALA DESHPANDE: Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

(a) whether Government have reviewed the performance of Central schemes in various States during the last three years including the current year;

(b) if so, the details thereof scheme-wise and year-wise and State-wise by standard parameters;

(c) the details of new schemes proposed/launched, coverage, objectives, targets, State-wise investment break-up, number of beneficiaries, physical targets and involvement of NGOs; and

(d) the detials of misuse of funds reported from the States and action taken thereon?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRIMATI MANEKA GANDHI): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Minority status for Hindus

1352. DR. Y. LAKSHMI PRASAD: Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

(a) the number of States having minority status for Hindus;

(b) whether they are getting any benefit; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRIMATI MANEKA GANDHI): (a) As per information available, none of the States have declared Minority Status for Hindus.

(b) Does not arise.

(c) The question as to who constitutes a minority is the subject matter of a Writ Petition in the Supreme Court. The final decision in the matter of providing minority status will depend on the decision of the Supreme Court.

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त निगम द्वारा ऋण

1353. **श्री खान गुफरान जाहिदी:** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त निगम द्वारा वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान कितने लोगों को ऋण उपलब्ध कराया गया; और

(ख) उपर्युक्त निगम की ऋण उपलब्धता एवं ऋण ग्राह्यता तथा इससे वसूली की जाने वाली ब्याज दर क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) वर्ष 1996-97, 1997-98 के दौरान जिन व्यक्तियों को ऋण

उपलब्ध कराया गया उनकी संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	व्यक्तियों की संख्या
1996-97	21,317
1997-98	51,816

(ख) यह निगम अन्य पिछड़े वर्ग के पात्र व्यक्तियों को राज्य स्तरीय पिछड़ा वर्ग निगमों अथवा सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा नामित राज्य माध्यम एजेंसियों के नाम की ऐसी अन्य एजेंसियों के माध्यम से वित्तीय रूप से व्यवहार्य उद्यमों के लिए आवधिक ऋण और सीमान्त धन ऋण प्रदान करता है। आवधिक ऋण योजना के अंतर्गत प्रति लाभ ग्राही अधिकतम ऋण सीमा 5 लाख रुपये हैं और सीमांत धन ऋण योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपये है।

पात्रता/ग्राह्यता

— केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित पिछड़े वर्गों के सदस्य/आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 22000/-रु० से कम होनी चाहिये।

निगम निम्नलिखित क्षेत्रों में पात्र लाभ ग्राहियों को ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है:—

1. कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्र
2. कारीगर तथा परम्परागत व्यवसाय
3. तकनीकी व्यवसाय तथा स्व-रोजगार
4. छोटा व्यवसाय
5. परिवहन सेवाएं।

वित्त व्यवस्था का पैटर्न और ब्याज की दर का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

वित्तीय व्यवस्था का पैटर्न

अवधि ऋण		सीमान्त धन ऋण	
एनबीसीएफडीसी ऋण	85%	एनबीसीएफडीसी	40%
विशेष केन्द्रीय सहायता ऋण	10%	विशेष केन्द्रीय सहायता ऋण	05%
लाभार्थियों का अंशदान	5%	लाभार्थियों का अंशदान बैंक ऋण, सब्सिडी (यदि कोई हो)	50%

ब्याज की दर

	ऋण राशि	एससीए के लिए एनबीसीएफडीसी द्वारा ब्याज की दर	लाभार्थियों के लिए एससीए द्वारा सीमान्त ब्याज की अधिकतम दर
आवधिक ऋण			
गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लाभग्राहियों के लिए	रुपए 100,000 तक	4.5% वार्षिक*	7% वार्षिक
	रुपए 100,000 से ऊपर रुपए 500,000 तक	7.5% वार्षिक*	10% वार्षिक

	ऋण राशि	एससीए के लिए एनबीसीएफडीसी द्वारा ब्याज की दर	लाभार्थियों के लिए एससीए द्वारा सीमान्त ब्याज की अधिकतम दर
गरीबी की रेखा से दुगना नीचे रहने वाले लाभार्थियों के लिए	रुपए 500,000 तक ऋण राशि को ध्यान में न रखतेहुए	7.5%*	10%
परिवहन क्षेत्र के अंतर्गत ऋण	रुपए 100,000 से अधिक	9.5% वार्षिक	12%
सीमान्त धन ऋण योजना	*समय पर भुगतान करने के लिए 0.5 की छूट		
	40,000 रुपए तक	1% वार्षिक	3% वार्षिक
	40,000 रु० से अधिक 200,000 रु० तक	2% वार्षिक	4%

भाषायी अल्पसंख्यकों की समस्याएं

1354. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भाषायी अल्पसंख्यकों की समस्याओं पर विचार करने के लिए एक आयोग का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने भाषायी अल्पसंख्यकों की समस्याओं के संबंध में कोई अध्ययन अथवा सर्वेक्षण कराया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (ङ) सरकार ने भाषायी अल्पसंख्यकों की समस्याओं पर विचार करने के लिए किसी आयोग की नियुक्ति नहीं की है। तथापि, संविधान के अनुच्छेद 350 (ख) के अनुसार भारत के राष्ट्रपति ने भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष